फर्द अहकाम

सुण्डाराम बनाम राज० सरकार व अन्य

[illegible] न्यायालय

केस संख्या 66/2017

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/3/19	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य- रिपोर्ट प्राप्त । स्थागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 05/4/19 को पेश हो।	
	05/4/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/5/19 को पेश हो।	
	13/5/19	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04/6/19 को पेश हो।	
	04/6/19	वा.क्र.3 उप० । रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 17/6/19 को पेश हो।	(किशनलाल [illegible]) अधिवक्ता [illegible]
	17/6/19	वा.क्र.3 उप० । वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवायी जाकर शा०मि० की गई। पत्रावली फैसले शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर चौमूं (जयपुर)	सुनाया [illegible] कार्यवाही

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–66 / 2017

उनवान

सुण्डाराम पुत्र रामूराम उम्र वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. केशाराम पुत्र रामूराम , उम्र 56 वर्ष
3. श्योलाराम पुत्र रामूराम , उम्र 52 वर्ष
4. गिरधारी पुत्र रामूराम , उम्र 50 वर्ष
5. मंगलाराम पुत्र रामूराम , उम्र 54 वर्ष
6. पेमाराम पुत्र रामूराम , उम्र 68 वर्ष
7. सन्तीदेवी पुत्री रामूराम , उम्र 40 वर्ष
8. पताशीदेवी पुत्री रामूराम , उम्र 54 वर्ष
9. लालीदेवी पत्नि रामूराम , उम्र 90 वर्ष

समस्त जाति अहिर, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–17.06.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी वाके ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम ढोढसर, पटवार हल्का ढोढसर, तहसील चौमूं में स्थित है जिसके खाता संख्या 53 के खसरा नं0 1194 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर व खाता संख्या 335 के खसरा नं0 1295, 1312 ता 1327 कुल किता 17 का कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 1201, 1282 / 2186, 1283, 1284 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजीयात् के नया खाता संख्या 53, 235, 232 के राजस्व रिकॉर्ड में सुन्दरलाल पुत्र रामूराम

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

शुरू से ही वारिसान फौती नामान्तकरण के समय से ही दर्ज चला आ रहा है जो तत्समय राजस्व कर्मचारियों ने बचपन के घरेलू नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। चूंकि वादी के पिताजी का देहान्त हो गया था तथा वादी व परिवारजन ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो नाम परिवार में प्रचलित होता था उसी के आधार पर राजस्व कर्मचारी खातेदारी का अंकन कर देते थे। जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड, मूल निवास, पैन कार्ड में वादी का नाम सुण्डाराम पुत्र रामूराम दर्ज है तथा आमजन में सुन्दरलाल पुत्र रामूराम को ही सुण्डाराम पुत्र रामूराम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता हैं। अतः उक्त सुन्दरलाल पुत्र रामूराम व सुण्डाराम पुत्र रामूराम एक ही व्यक्ति के नाम है जिस कारण सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है जिसका एक प्रमाण पत्र दिनांक 19.06.2017 को ग्राम पंचायत ढोढसर के सरपंच द्वारा जारी किया गया है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 6 ने बतौर अपनी सहमति के हस्ताक्षर भी किये है। वादी का नाम सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश सुन्दरलाल पुत्र रामूराम दर्ज हो गया है, जिससे वादी को काफी परेशानियों का समना करना पड़ रहा है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के रिकार्ड में वादी का नाम सुन्दरलाल पुत्र रामूराम होने से ऋण लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा राजस्थान सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रचलित योजनाओं का लाभ भी वादी नहीं उठा पा रहा है जो दुरुस्त किये जाने योग्य हैं। वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाद में वर्णित आराजी नया खाता संख्या 53, 335, 232 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुन्दरलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम की घोषणा की जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जाकर वादी का नाम उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रतिवादी सं0 2 ता 9 की ओर से जवाब वाद पत्र में वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई गई है। वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है तथा साक्ष्य के रुप में समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। उक्त के संबंध में तहसीलदार चौमूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामू एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम सुन्दरलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुन्दरलाल पुत्र रामूराम एवं सुण्डाराम पुत्र रामूराम

कलेक्टर चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में सुन्दरलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जाकर वाके ग्राम ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 53, 335, 232 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुन्दरलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–66 / 2017

उनवान

सुण्डाराम पुत्र रामूराम उम्र वर्ष, जाति अहिर, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. केशाराम पुत्र रामूराम , उम्र 56 वर्ष
3. श्योलाराम पुत्र रामूराम , उम्र 52 वर्ष
4. गिरधारी पुत्र रामूराम , उम्र 50 वर्ष
5. मंगलाराम पुत्र रामूराम , उम्र 54 वर्ष
6. पेमाराम पुत्र रामूराम , उम्र 68 वर्ष
7. सन्तीदेवी पुत्री रामूराम , उम्र 40 वर्ष
8. पताशीदेवी पुत्री रामूराम , उम्र 54 वर्ष
9. लालीदेवी पत्नि रामूराम , उम्र 90 वर्ष

समस्त जाति अहिर, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद डिकी फरमाया जाकर वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 53, 335, 232 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सुन्दरलाल पुत्र रामूराम के स्थान पर सुन्दरलाल उर्फ सुण्डाराम पुत्र रामूराम की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–66 / 2017
उनवान– सुण्डाराम बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 17.06.2019

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.06.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर
ओहदा........... चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.04 14:44:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: